महत्वपूर्ण एवं खास

चिन्हित गावों में 2 दिसंबर को डॉक्टर की टीम करेंगे इलाज

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) वाहन से डॉक्टर आपके द्वार की टीम ग्रामीणों के इलाज के लिए 2 दिसंबर को जिले के बरमकेला ब्लॉक के ग्राम रतनपाली, सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनकबीरा के आश्रित गांव गंधराचुआ और उच्चभिट्ठी तथा बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम तिलाईपाली में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। प्रत्येक एमएमयू वाहन में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, फार्माशिष्ट उपलब्ध रहेंगे। एमएमयू वाहन में वजन, खून की मात्रा हीमोग्लोबिन जांच, बल्ड प्रेशर और श्वास (ऑक्सीमेट्री) जांच सुविधाओं के साथ निशुल्क दवा वितरण व्यवस्था रहेगी।

मंदिरों में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में मंदिरों में रही चोरियों की शिकायतों के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ0 संतोष सिंह (भा0पु0से0) निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन झा (भापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद चौक निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा थाना आजाद चौक में कायम अपराध क्रमांक 300/2024 धारा 303(2) थाना सरस्वती नगर करबला तालाब स्थित मंदिर से चोरी की सूचना पर अपराध क्रमांक 263/2024 धारा 303(2) में मुखबिर एवं थाना स्टाफ को लगाकर अज्ञात माल मुल्जिम की लगातार पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी गौकरण निषाद द्वारा की गई है, जिस पर पतासाजी कर आरोपी को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा मंदिरों में चोरी करना स्वीकार किया गया। जिसके मेमोरण्डम पर चोरी हुई मशरूका चांदी के 02 नग मुकुट, 03 नग आंख,01 नग जीभ, 01 नग त्रिशूल, 01नग पट्टी 02 नग बछिया 01 जोड़ी पायल जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। बाद आरोपी गौकरण निषाद पिता मं त्री उर्फ रामू निषाद उम्र 30 साल निवासी थान कावरिया जिला बेमेतरा हाल निवासी कोटा बड़ी मस्जिद के सामने थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

शराबी पति को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शराब को लेकर पति और पत्नी के बीच में जमकर विवाद हुआ तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी मृतक पति का नाम गजेंद्र साहू बताया जा रहा है जो कि पेशे से ट्रक चालक है आए दिन पति और पत्नी के बीच में पैसों को लेकर आपसी विवाद हुआ करता था मृतक के दो छोटे बच्चे हैं भी है बताया जा रहा है कि रोज की तरह पति गजेंद्र कुमार शराब पीकर घर पहुंचा था जिसके बाद पति और पत्नी में जमकर विवाद हुआ गाली गलौच के बाद मामला हाथा पाई तक आ पहुँचा तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी आरोपी पत्नी का नाम नीमा साहू है दोनों के बीच लगभग 7 साल पहले विवाह हुआ था घटना की जानकारी लगते ही आस पड़ोस को लोगों ने तत्काल डायल 112 को इसकी सूचना थी फिलहाल निवाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है तो वहीं विवेचना की जा रही है आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने के साथ बाइक जलकर राख

कोरबा (आरएनएस)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा कॉलोनी में बीती मध्य रात 2.30 बजे हुए शक्तिशाली धमाके ने लोगों को डराया और नींद से उठा दिया। यहां एक बड़ी घटना घटित हुई । कोलफील्ड्स कर्मी फोरमैन अंजनी गोपाल की मोटरसाइकिल होंडा साइन सीजी 12 एजे 2388 अचानक आग की चपेट में आ गई। तकनीकी कारण से यह घटना हुई या किसी ने जानबूझकर इसे अंजाम दिया, यह जांच का विषय है। लेकिन कोलफील्ड कॉलोनी क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाएं लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

नए आधार पंजीकरण एवं त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों किया गया है जारी

-नियम से अधिक शुल्क एवं ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाही

जशपुरनगर-रायपुर । आरएनएस

जिला कार्यालय के अंतर्गत समस्त आधार केंद्रों के ऑपरेटर्स को विगत दिवस ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में सुधार हेतु नियमों एवं दस्तावेजों में किए गये बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में नये आधार पंजीकरण एवं आधार में त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों की सूची जारी किया गया है। जिसके बारे में ज़िले के आधार ऑपरेटर्स के समस्यायों का समाधान किया गया।

नियम से अधिक शुल्क लेने वाले केंद्रों पर होगी कार्यवाही: - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त केंद्रों को प्रत्येक नागरिकों को किए गए आधार कार्य की ऑनलाईन पावती अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने हेतु कड़ी हिदायत दी गई और नागरिकों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिए जाने के लिए कहा गया है। उससे अधिक शुल्क लेने वाले केन्द्र पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। विगत दिवस इस संबंध में प्रशिक्षण देकर जानकारी भी दी गई है कि निजी केंद्रो में आधार संबंधित कार्य जिसमे नये आधार कार्ड बनाये जाने, बायोमेट्रिक अद्यतन, डेमोग्राफिक अद्यतन एवं आधार कार्ड में सुधार संबंधित कार्यो को अनुमति प्राप्त शासकीय कार्यालय में ही किया जाना है। बिना अनुमति के कोई भी केंद्र यदि अपने निजी केंद्र अथवा प्राइवेट भवन में आधार का कार्य करता है तब नियमानुसार कार्यवाही ऑपरेटर पर किया जाएगा।

आधार कार्ड में दो तरह से अद्यतन की सुविधा होती है: - नागरिकों को आधार कार्ड में दो तरह के अद्यतन की सुविधा होती है, जिसमे बायोमेट्रिक अद्यतन एवं डेमोग्राफिक अद्यतन कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक अद्यतन के अन्तर्गत फिंगर प्रिंट, आईरिस एवं फोटो आता है। डेमोग्राफिक अद्यतन में नागरिक अपने नाम, जेंडर, जन्मतिथि, माता- पिता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करवा सकते है।

जन्मतिथि में केवल एक बार और नाम में सुधार दो बार ही होंगे मान्य:- यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की किसी भी नागरिक के आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार और नाम में किसी भी प्रकार का सुधार अथवा बदलाव केवल दो बार ही मान्य होगा। जन्म तिथि में सुधार हेतु केवल क्यूआर कोड प्रदर्शित ऑनलाइन जारी किए गये जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र को आधार ऑपरेटर के द्वारा प्रथम स्तर पर जाँच किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात यूआईडीएआई जाँच टीम के द्वारा पुन: जन्म प्रमाण पत्र की जाँच किया जाएगा। यदि जानकारी सही पाया गया, तब सुधार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए केवल मान्य फोटो परिचय पत्र, 10वी की अंकसूची को मान्य किया गया है। यदि किसी स्थिति में आधार कार्ड में नाम अथवा उपनाम का बदलाव हो रहा है तब नाम बदलने हेतु केवल छत्तीसगढ़ अथवा भारत सरकार का राजपत्र को ही मान्य किया गया है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमानुसार नागरिक अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि का सुधार केवल एक बार ही करवा सकते है। इसके बाद आधार सॉफ्टवेर सिस्टम इसको लॉक कर देता है एवं पुन: जन्मतिथि में सुधार संभव नहीं होता है। इसी अनुसार नागरिक अपने नाम में अधिकतम दो बार सुधार करवा सकते है इसके बाद सॉफ्टवेर सिस्टम इसको भी लॉक कर देता है। यदि किसी नागरिक का जेंडर आधार कार्ड में ग़लत हो गया हो तब केवल एक बार ही सुधार संभव होगा।

ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाही: - यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की यदि किसी भी ऑपरेटर के द्वारा आधार नियमो के विरुद्ध कोई भी ग़लत दस्तावेज अपलोड किया गया तब आधार ऑपरेटर के विरुद्ध यूआईडीएआई अथॉरिटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद से कार्यवाही किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत आधार ऑपरेटर की आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा अथवा ऑपरेटर को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑपरेटर पर भारी अर्थदंड लगाये जाने का भी प्रावधान यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है।

आधार संबंधित कार्यो के लिए शुल्क निर्धारित:- यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा सभी आधार केंद्रों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित शुल्क लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके तहत किसी भी आयु वर्ग के नये आधार पंजीकरण पूर्णत:नि:शुल्क होंगे। 05 से 07 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन को भी नि:शुल्क रखा गया है। आधार कार्ड में किसी प्रकार का डेमोग्राफिक़ अपडेट जिसके तहत नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी अद्यतन अथवा सुधार किए जाने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है। केवल बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क अथवा डेमोग्राफिक़ के साथ् बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा किसी भी आधार केंद्र से ए-4 साइज में रंगीन आधार कार्ड केवल प्रिंट किए जाने के लिए 30 रुपये लिया जाना निर्धारित आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के अद्यतन अथवा नये आधार कार्ड बनाये जाने के पश्चात एनरोलमेंट स्लिप जारी

राज्य के चार बड़े शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सडक़ों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है। सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों हेतु बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

एक ही बेटी होने पर सीबीएसई देगा 500 रुपये का स्कॉलरशिप

कोरबा (आरएनएस)। आपकी सिर्फ एक ही बिटिया है और वह सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में पढ़ाई कर रही है तो अब आपकी बिटिया को बोर्ड हर महीने 500 रुपए बतौर स्कॉलरशिप देगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी (सीबीएसई) की यह सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है, जिसके आवेदन शुरू हो गए हैं। आपको 23 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीबीएसई ने स्कूलों को इस स्कॉलरशिप के लिए छात्राओं को प्रेरित करने सर्कुलर जारी किया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में आवेदन के इच्छुक और योग्य छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवदेन फार्म भर सकती हैं। स्कॉलरशिप माता-पिता की इकलौती बेटी को दी जाती है। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि वर्ष 2024 में 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल से पास की है। साथ ही और पहले पांच विषयों में निर्धारित अंक प्राप्त किए हो और वे 11वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में ही पढ़ रही हों। 10वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। वर्ष 2023 में जिन छात्राओं ने इस स्कॉलरशिप को प्राप्त किया है उन्हें इसे रिन्यू कराना होगा। छात्राओं को यह स्कॉलरशिप उन्हीं स्कूलों के जरिए मिलेगी जहां उनकी ट्यूशन फीस कम से कम 2500 रुपए तक होनी चाहिए।

ग्राम गेरवानी डीपापारा में अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

पूंजीपथरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को ग्राम गेरवानी डीपापारा में छापा मारकर 15 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की। यह कार्रवाई थाना प्रभारी राकेश मिश्रा के निर्देशन में की गई, जिसमें अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त सूरज राम जाटवर को गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर के पीछे स्थित कोलाबाड़ी में भारी मात्रा में महुआ शराब बिक्री के लिए जमा कर रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा। पूछताछ में आरोपी ने अवैध शराब रखने की बात स्वीकार की। तलाशी में एक 15 लीटर की प्लास्टिक डिब्बे में 1500 रुपये मूल्य की महुआ शराब बरामद हुई।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज राम जाटवर (42 वर्ष), निवासी गेरवानी डीपापारा, के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बिलासपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी व सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रन विस्तार कार्य के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही, एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम का उन्नयन किया जाएगा, ताकि रात के समय विमान संचालन को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाया जा सके। जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए एयरस्ट्रिप सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। आइसोलेशन बे का निर्माण विमान को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित खड़ा रखने के लिए किया जाता है, जबकि सडक़ का चौड़ीकरण यातायात में सुगमता लाएगा। वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 27.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाएगी।

एमपी से नशीली दवाई लेकर छग पहुंचा आरोपी शेख सलमान चढ़ा पुलिस के हत्थे

-आरोपी के कब्जे से नाईट्रा व एल्प्राजोरम के 1200 नग प्रतिबंधित दवाई जप्त

मुंगेली-रायपुर । आरएनएस

पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन में मुंगेली पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरूद्ध कार्यवाहियाँ की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 30.11.2024 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नया बस स्टेण्ड मुंगेली के पास नशीला टेबलेट को अवैध रूप से बेचने के लिये ग्राहक की तलाश कर रहा है। उक्त मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली एस.आर. घृतलहरे के मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर उक्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर थाना प्रभारी मुंगेली नेतृत्व में टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम शेख सलमान पिता शेख जल्लू उम्र 35 वर्ष साकिन बड़े बेरेला थाना जरहागांव जिला मुंगेली (छ0ग0) का होना बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक थैले में प्रतिबंधित नशीला टेबलेट 1-नाइट्राज़ेपम टैबलेट आईपी नाइट्रोसनआर 10, प्रत्येक में 10 टैबलेट की 7 स्ट्रिप्स 10, कुल 70 टेबलेट जिसमें प्रत्येक टेबलेट में 10 नाइट्राजेपम नशीली पदार्थ 2-एलप्राजोलम टेबलेट आईपी 0-5 एल्प्रास्केन 0-5, 46 स्ट्रीप प्रत्येक में 15 टेबलेट कुल 690 टेबलेट, 3-एल्प्राजोलम 0-5 एल्प्रेड 0-5, 44 स्ट्रीप प्रत्येक में 10 कुल 440 टेबलेट नशीली पदार्थ जुमला कुल 1200 टेबलेट जिसमें कुल 1265 एमजी नशीला टेबलेट बरामद किया गया। उसके पास मिले नशीले टेबलेट के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होने एवं नशे के आदी लोगों को अवैधरूप से बेचना स्वीकार किया। उक्त नशीली पदार्थ को आरोपी द्वारा मध्य प्रदेश से लाना बताया है, जिसके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उक्त स्वीकारोक्ति पर उसके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 494/2024 धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिंह थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, सउनि कमलफुल साहू, प्रधान आरक्षक लोकेश राजपूत, दयाल गावस्कर, रवि कुमार जांगड़े, यशवंत डाहिरे, आरक्षक भेसज पाण्डेकर, राम किशोर कश्यप ,राकेश बंजारे, महेन्द्र सिंह, हेमसिंह ठाकुर, अमीर चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तकनीक की उड़ान से ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा ने खरीफ और रबी सीजन में कमाये दो लाख रुपए

-बिटिया को बना रहीं आईटी इंजीनियर

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो हाथ कुशलता से चूल्हा-चौका का काम करते हैं वे तकनीक के क्षेत्र में भी उतनी ही कुशलता का परिचय दे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से अपितु तकनीकी रूप से भी सक्षम हो रही हैं।छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदियों ने इस सोच को साकार कर दिया है। रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता की उड़ान ड्रोन की तरह है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से वे भी ड्रोन दीदी बनीं। उन्होंने ड्रोन चलाना सीखा और बहुत थोड़े समय में इसमें कुशल हो गईं। चंद्रकली बताती हैं कि हुनरमंद होने से उनके काम का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया। वे केवल 10 मिनटों में एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिडक़ाव कर देती हैं और इससे 300 रुपए कमा लेती हैं। गांव में खेतों में छिडक़ाव के बाद उनके ड्रोन चालन की कुशलता की जानकारी पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। उन्हें खूब काम मिला और पूरी लगन के साथ चंद्रकली ने लगभग 700 एकड़ खेतों में कीटनाशकों का छिडक़ाव कर दिया। सबसे बड़ी खूबी यह है कि तकनीक ने उन्हें समय की बाधा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वे बच्चों को तैयार करती हैं। घर में चूल्हा-चौका कर लेती हैं फिर खेतों के लिए निकल पड़ती हैं। उनके हाथ में ड्रोन का रिमोट होता है। जैसे ही चंद्रकली ड्रोन कंट्रोल रिमोट ऑन करती हैं, धीरे-धीरे ड्रोन गति लेते हुए आसमान की ओर उड़ता है और खेत का चक्कर काटने लगता है। अब चंद्रकली अपने गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है। रायपुर जिले की आरंग विकासखंड की निवासी वर्मा कुछ महीनों पहले महिला समूह से जुडकर बहुत ही कम आमदनी प्राप्त कर रही थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाते हुए आधुनिकता से जोडऩा है। इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को चयन किया गया जिसमें रायपुर जिले की चन्द्रकली वर्मा भी शामिल थी। चन्द्रकली बताती हैं कि उनके समूह में अच्छे कार्य को देखते हुए इस योजना के लिए चयनित किया गया और ऑनलाइन इन्टरव्यू हुआ। जिसके लिए उन्हें ग्वालियर में 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और दिसंबर 2023 में इन्हें ड्रोन नि:शुल्क दिया गया, साथ ही परिवहन के लिए ड्रोन वाहन दिया गया। वे बताती हैं कि मुझे अन्य दीदियों के साथ उत्तर प्रदेश के फूलपुर में आमंत्रित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें नमो ड्रोन दीदी की उपाधि दी। इसके बाद चन्द्रकला के आने बाद किसानों को इसकी बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैनुवल तरीके से कीटनाशक का छिडक़ाव करने की अपेक्षा अब यह काम तकनीक की सहायता से ड्रोन से मिनटों में ही हो जाता है। धीरे-धीरे उन्हें काम मिलने लगा। चंद्रकला दो लाख रूपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है जिससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहीं है उनकी बेटी आईटी में इंजीनियरिंग कर रही हैं।